

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2013


जयपुर, दिनांक 1 DEC 2016

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(1)न्याय/2013 दिनांक 29.6.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, बयाना का शिविर न्यायालय रूपवास के स्थान पर निम्नानुसार अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, बयाना का शिविर रूपवास निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अतिरिक्त बैठक का स्थान	शिविर न्यायालय की अवधि
1.	अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, बयाना जिला भरतपुर	बयाना	रूपवास	प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/जुलिस अधीक्षक, भरतपुर।
8. अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, बयाना/अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, बयाना, जिला भरतपुर।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवसिया)
संयुक्त शासन सचिव